FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

.... आसियो देवी .... बनाम .... गिरधारीराम वगैरा ....

किस्म मुकदमा रा. अरावद 111, 128 RLR .... नं. 252 .... सन् 2018 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/11/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/12/18 को पेश हो।	
12/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 18/12/18 को पेश हो।	
18/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण अनुपस्थित/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है अतः मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 26/02/19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

26/02/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित।
श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त
होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक
03/04/19 को पेश हो। ह०

03/04/19 प्रार्थिनी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण
बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय
तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज
5.45 pm पर लगाई गई, अप्रार्थीगण स्वयं या
उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं
हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही
अमल में लाई जाती है। प्रार्थिनी के अधिवक्ता
की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थिनी के अधिवक्ता
ने बताया की प्रार्थिनी को अपने खातेदारी खेत के
चारों ओर पक्की नेखमबन्दी करना आवश्यक है।
इसलिए प्रार्थिनी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार
कीया जाकर नेखमबन्दी आदेश कीया जावे।
अतः प्रार्थिनी का आवेदन स्वीकार
कीया जाकर तहसीलदार बायतु को अधिकार निहित
कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कोसी भी भू०
अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थिनी के खातेदारी खेत
की पक्की नेखमबन्दी मौके पर शुल्क जमा कराकर
करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली
हो, पत्रावली कैमल शुमार हो, दर्ज नम्बर से
कम हो, दाखिल दफ्तर हो।
ह० 03.4.2019

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 49 दिनांक– 03 / 04 / 2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अमियों देवी पत्नि कास्बाराम जाति प्रजापत निवासी खेजडियाली झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. गिरधारीराम पुत्र दुर्गाराम वगैरह जाति प्रजापत निवासी खेजडियाली झाक तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 252 / 18

आदेश

मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 348 / 231, रकबा 24.00 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा / बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

03.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 50 – 54

दिनांकः– 03 / 04 / 2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अमियों देवी
4. विप्रार्थी श्री गिरधारी राम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु।

03.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner